10/7/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व प्रार्थी के
आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज लगाने
के बावजूद भी वकील प्रार्थी व प्रार्थी
न्यायालय के हाजिर नहीं होने पर प्रार्थी
का आवेदन 212 RTA को अदम हाजरी
अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से
कम होकर दाखिल दफ्तर हो।